न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 28/2020 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 14.02.2020
निर्णय दिनांक– 19.08.2020

1. श्री मांगीलाल पिता श्री भैरूलाल मीणा, निवासी कोदीनेरा, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री श्यामलाल पिता अमृतलाल मीणा, निवासी कोदीनेरा, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती राधा पत्नि श्यामलाल मीणा, निवासी कोदीनेरा, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री अतुल जैन : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री प्रकाश पालीवाल : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (रेस्पो. संख्या 1 व 2)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 46/2014 निर्णय दिनांक 14.07.2015

निर्णय

दिनांक–19.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 46/2014 निर्णय दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 10.09.2015 को अंदर मयाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित

होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 14.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि मौजा कोदीनेरा में आराजी नम्बर 360 रकबा 0.33 हैक्टेयर किस्म बिड़ जो अपीलांट के कब्जे काश्त में बाप दादाओं के समय से चली आ रही है। उक्त आराजी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने अपने पिता सरपंच श्री अमृतलाल पिता गोतम जी मीणा निवासी कोदीनेरा जो आवंटन कमेटी के सदस्य है ने आवंटन कमेटी को धोखे में रखकर श्री अमृतलाल सरपंच ने अपने पुत्र व पुत्रवधु रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के नाम भूमि आवंटन करा ली जो नियम विरूद्ध है व कानूनन आवंटन कमेटी के सदस्य के परिवार को आवंटन नही की जा सकती है। उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु कार्यवाही अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश की व लिखित बहस पेश की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन कमेटी के सदस्य सरपंच श्री अमृतराम मीणा के पुत्र व पुत्रवधु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को हुआ आवंटन बहाल रखे जाने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.07.2015 से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय पारित किया है कि *हमने प्रस्तुत अपील का गहन अवलोकन किया एवं दोनो पक्षकारान की लिखित बहस का गहनता से अध्ययन एवं मनन किया गया। अपीलांट के द्वारा अपने तथा पूवजों का प्रश्नगत आराजी का कब्जा होना अपील में अंकित किया है किन्तु इस संबंध में किसी प्रकार के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है।*

रेस्पोडेंट द्वारा प्रश्नगत आराजी पर कब्जे के संबंध में संवत् 2067–2070 तक की गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की गई है साथ यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन के उपरांत रेस्पोडेंट को खातेदारी कब्जे काश्त के आधार पर प्रदान किये गये है जो रेकार्ड के स्तर पर निर्विवाद है।

अपीलांट द्वारा अपने कथित कब्जे काश्त के उपरांत भी प्रश्नगत आराजी के आवंटन हेतु आवेदन क्यों नही किया गया ? यह भी स्पष्ट

नही किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजी की मौका रिपोर्ट संलग्न की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट पर उसी पटवारी द्वारा मौतबिरान से पुछताछ के आधार पर प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना बताया गया है। अतः उक्त मौका रिपोर्ट प्रभाव शुन्य हो जाती है। उक्त विरोधाभाषी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करना संबंधित पटवारी का गंभीर कृत्य है जिसके लिए उक्त अपचारी कर्मचारी को दण्डित किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार अरनोद को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही इस निर्णय दिनांक के 15 दिवस के भीतर प्रस्तावित करें।

अतः उपरोक्त विवेचन की रोशनी में अपील में वर्णित ठोस तथ्यों को प्रमाणित करने में अपीलांट पूर्णतः विफल रहा है, के कारण अपील अपीलांट खारीज की जाती है तथा मौजा कोदीनेरा के आराजी नम्बर 360 मी रकबा 0.33 हैक्टेयर किस्म बिड दिनांक 02.03.2006 को किया गय आवंटन बहाल रखा जाता है।

उक्त आवंटन निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल जैन उपस्थित व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल व रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित रहै। उभयपक्ष की बहस दिनांक 06.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर साक्ष्य की अनदेखी कर रेस्पोडेंट के गलत व झुठे जवाब के आधार पर आवंटन किया है। रेस्पोडेंट आवंटन कमेटी के सदस्य होने से उन्हे भूमि आवंटन नही की जा सकती है। आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नहीं मानने में भुल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को आवंटन की गई आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है आज भी अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। आवंटन नियमो के आलोक में सरपंच स्वयं द्वारा आवंटन सलाहकार समिति में भाग लेने से आवंटन दुषित है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा

अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय रूपी बनाम राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर एवं अन्य RLW 2006 (2) RJ का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि आराजी के संबंध में संवत् 2067–2070 तक की गिरदावरी की नकल अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन के उपरांत रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त के आधार पर प्रदान किये गये है, जो रेकार्ड के स्तर पर निर्विवाद है। रेस्पोडेंट आवंटन की पात्रता होने पर ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण जांच के बाद आवंटन किया गया है। पिता/ससुर द्वारा सद्भावी रूप से आवंटन में भाग लिया, आवंटन पात्रता आधार पर किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय हजारी व अन्य बनाम हरिसिंह व अन्य RRD 1994 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के मूल आवेदन के संदर्भ में सिर्फ पटवारी रिपोर्ट जो कब्जा संबंधित है उसी पर पटवारी के आचरण को विचारणीय मानकर अपील का निस्तारण कर दिया है। अपीलांट आवेदक के अन्य महत्वपूर्ण उजरात जिसमें अपीलांट ने आवंटी रेस्पोडेंट के पिता/ससुर के स्पष्ट सहमत स्थिति अनुसार आवंटन प्रक्रिया में भाग लिया है, उस पर विचार ही नही किया है। विधि का व्यक्त प्रावधान है कि अतिक्रमी/कब्जेधारी का कोई लोकस स्टेण्डाई नही होता जब तक की उसके पक्ष में नियमन की पात्रता/अनुशंषा होने के साक्ष्य उपलब्ध नही हो। अपीलांट भूमि का पडोसी होना भी स्पष्ट है साथ ही विधि का कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 13 (vii) का द्वितीय परन्तुक निम्नानुसार है [Provided further that where a member of the Advisory Committee has interest in an applicant as his relation or otherwise such member shall not participate in the meeting of the committee] उपरोक्त से स्पष्ट है कि विधि/नियमों में हितधारी आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य को

बैठक में भाग लेने से विवर्जित किया गया है। इस प्रकरण में व्यक्त रूप से अवांटी रेस्पोडेंट के पिता/ससुर के द्वारा आवंटन सलाकार समिति की बैठक दिनांक 25.01.2006 में भाग लेकर विवादित भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट विपक्षी को करवाया गया है। ग्राम पंचायत चुपना के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र 18.01.2015 के अनुसार श्री अमृतराम आवंटी के पिता/ससुर वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक सरपंच रहा भी प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा पेश की गई न्यायिक नजीर RLW 2006 (2) RJ में समान तथ्यों अनुसार सरपंच के आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने से आवंटन को दूषित माना गया है। वही रेस्पोडेंट द्वारा पेशशुदा न्यायिक नजीर में कब्जा नही होने के आधार पर पक्षकार को व्यथित नही माना जाना एवं अप्रशिक्षित अध्यापक को राजकीय कर्मचारी नही माने जाने के विधिक अभिमत है, जो इस प्रकरण से सुसंगत नही है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के समस्त उजरात व रेकार्ड की अनदेखी कर विधि के व्यक्त प्रावधानों के विरूद्ध किये गये आवंटन को बहाल रखने में निहायत तथ्यात्मक व विधिक त्रुटी की है। अतएव अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट विपक्षीगण को ग्राम कोदीनेरा के आराजी नम्बर 360 रकबा 0.33 हैक्टेयर दिनांक 25.01.2006 के आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन को अपील स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2006 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, अरनोद जिला प्रतापगढ़ भूमि को कब्जे राज प्राप्त करें।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर